भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 470
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती

470. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रिकल वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनके कलपुर्जों पर आयात शुल्क में कटौती करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इलेक्ट्रिकल वाहनों के उत्पाद और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): राजस्व विभाग, वित्त मंत्राय ने सूचित किया है कि निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार दिनांक 30.01.2019 से इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) की शून्य दरें उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना सं. 03/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 29.01.2019 जारी की:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण हेतु निम्नलिखित पुर्जों और घटकों पर शून्य बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) निर्धारित की है:-
   क. पावर कंट्रोल यूनिट (इन्वर्टर, एसीडीसी कन्वर्टर, कंडेन्सर)
   ख. एनर्जी मोनिटर
   ग. कॉन्टेक्टर
   घ. रिकवरी हेतु ब्रेक सिस्टम
   ङ. ईवी के विनिर्माण हेतु इलेक्ट्रिक कंप्रेशर
ii. लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री, इनपुट, उप-पुर्जों और पुर्जों पर शून्य बीसीडी निर्धारित की गई है।

(ग): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, भारी उद्योग विभाग ने [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] फेम इंडिया योजना तैयार की। इस समय, चार फोकस क्षेत्र नामतः मांग

सृजन, प्रौद्योगिकी मंच, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से फेम इंडिया योजना का चरण-I कार्यान्वयन के अधीन है। फेम इंडिया योजना के चरण-I को मूलतः दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अनुमत है।

योजना के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन (एक्सईवी) के क्रेता को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में छूट दी जाती है। अब तक, सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से 2,65,335 एक्सईवी की सहायता की है।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/ प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना घटकों के तहत विशिष्ट परियोजनाओं का निधियन भी किया जाता है।

नई जीएसटी प्रणाली के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को पारम्परिक वाहनों के लिए 22% तक उपकर के साथ 28% जीएसटी दर की तुलना में 12% (कोई उपकर नहीं) के निचले स्तर पर रखा गया है।

*****